Website:- www.dipronline.org
email:- projjn@rediffmail.com,

राजस्थान सरकार

सूचना एवं जनसम्पर्क कार्यालय,झुंझुनू

सभी पेंशनरों को निःशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध होगी - गुप्ता

झुंझुनू, 11 मईः जिला कलेक्टर आलोक गुप्ता ने बताया कि मुख्यमंत्री की बजट घोषणा की क्रियान्विति में अब जिले के सभी वृद्धावस्था, विधवा और विकलांग पेंशनरों को भी जिले के राजकीय अस्पतालों में मुख्यमंत्री बी.पी.एल. जीवन रक्षा कोष योजना के तहत निःशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करायी जाएगी। उन्होंने बताया कि बी.पी.एल. कार्ड धारक पेंशनरों को इस योजना के तहत पूर्व में निःशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जा रही थी, लेकिन अब इस योजना का लाभ सभी प्रकार के पेंशनरों को मिलेगा।

कोषाधिकारी एच.सी. रोहिला ने सभी प्रकार के पेंशनरों से कहा है कि वे अपने दो नवीनतम रंगीन पासपोर्ट साईज के फोटो जिनमें एक फोटो सादे कागज पर विवरण लिखकर किसी भी राजपत्रित अधिकारी से प्रमाणित करवाकर अपने पेंशन भुगतान अधिकारी या उप कोषाधिकारी के यहां 15 मई तक व्यक्तिशः उपस्थित होकर मूल पी.पी.ओ. पर चस्पा करवाकर प्रमाणित करवा लेवें। भविष्य में बी.पी.एल. कार्ड के स्थान पर पी.पी.ओ. प्रस्तुत करने पर ही चिकित्सालय से निःशुल्क चिकित्सा के अधिकारी हो सकेंगे। चिकित्सा विभाग ऐसे सभी पेंशनरों की सूची वेब साइट पर उपलब्ध करा रहा है।

कलेक्ट्रेट में जनगणना नियंत्रण कक्ष स्थापित

झुंझुनू, 11 मईः जिला कलेक्टर आलोक गुप्ता ने एक आदेश जारी करके कलेक्ट्रेट में जनगणना कार्य के लिए नियंत्रण कक्ष स्थापित किया है। नियंत्रण कक्ष का प्रभारी लीव रिर्जव नायब तहसीलदार मंगल चंद को बनाया गया है। अपर कलेक्टर के.एल. मीणा ने बताया कि नियंत्रण कक्ष के दूरभाष नम्बर 232237 व 234402 हैं। यह नियंत्रण कक्ष 24 घण्टे काम करेगा, जिसके लिए कार्मिकों एवं आरक्षित दल की नियुक्ति कर दी गई है। आरक्षित दल के कार्मिकगण प्रत्येक शनिवार व रविवार (राजपत्रित अवकाश) के दिन अपनी पारी अनुसार निर्धारित समय पर नियंत्रण कक्ष के कमरा नम्बर 14 में अपनी ड्यूटी देंगे।

सरकारी भवनों में जल संरक्षण करने के निर्देश

झुंझुनू, 11 मईः जिला कलेक्टर आलोक गुप्ता ने नगरीय विकास, आवासन व स्वायत शासन विभाग के प्रमुख शासन सचिव गुरदयाल सिंह संधु के परिपत्र का हवाला देते हुए जिले के विभागीय अधिकारियों से कहा है कि वे जल सरंक्षण की कमी को ध्यान में रखते हुए तथा भू-जल के गिरते जल स्तर को मद्देनजर रखते हुए सरकारी भवनों में जल सरंक्षण के लिए वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम का निर्माण कराएं। राज्य सरकार के निर्देशानुसार सरकारी भवनों में वर्षा के जल का सदुपयोग करने के लिए रैन वाटर हार्वेस्टिंग किया जाना आवश्यक है। ऐसा प्रावधान भवन विनियमों में किया हुआ है। विभागीय अधिकारियों से आगामी 30 जून तक यह कार्य करवाने को कहा गया है।

......2....

दो रूपये किलो गेहूं वितरण में लगे कार्मिकों का प्रशिक्षण सम्पन्न

झुंझुनू, 11 मईः मुख्यमंत्री अन्न सुरक्षा योजना के तहत लाभान्वित होने वाले बी.पी.एल. एवं राज्य बी.पी.एल. परिवारों को दो रूपये किलो गेहूं सरकारी कर्मचारियों की उपस्थिति में वितरण कराने के लिए लगाए गए राज्य कर्मियों का प्रशिक्षण मंगलवार को जिले के सभी उपखण्ड स्तर पर संबंधित उपखण्ड अधिकारियों द्वारा दिया गया। इन कार्मिकों से कहा गया है कि हर माह की 15 से 21 तारीख तक दिए जाने गेहूं वितरण के दौरान वे अपनी उपस्थिति में लाभान्वित परिवारों को गेहूं का वितरण कराएं और रोजाना गेहूं वितरण का विवरण अंकित करें तथा 21 तारीख की शाम अवशेष बचे गेहूं की सूचना भी लिखित में संबंधित को भिजवाएं।

जिला मुख्यालय के सूचना केन्द्र के सभागार में मंगलवार को उपखण्ड अधिकारी नरेन्द्र कुमार कोठारी व जिला रसद अधिकारी हरभजन सिंह ने झुंझुनू पंचायत समिति क्षेत्र के एक सौ के करीब कार्मिकों को प्रशिक्षण देकर उन्हें प्रपत्र भरने की जानकारी से भी अवगत कराया। उन्होंने कहा है कि गेहूं वितरण में पूर्णतया पारदर्शिता को ध्यान में रखते हुए किसी तरह की अनियमितता नहीं होनी चाहिए। अगर कहीं से भी गेहूं वितरण में धांधली या अनियमितता की शिकायत पाई गई तो उसके लिए उचित मूल्य की दुकान पर निगरानी के लिए लगाए गए राज्य कर्मचारी को जिम्मेदार माना जाएगा। उन्होंने बी.पी.एल. व राज्य बी.पी.एल. परिवारों से भी कहा है कि वे अपना गेहूं निर्धारित तिथियों में संबंधित दुकान से आवश्यक रूप से प्राप्त कर लेवें।

जिला रसद अधिकारी ने बताया कि जिले की 723 उचित मूल्य की दुकानों के लिए 725 कर्मचारियों को लगाया गया है जिनमें ग्रामसेवक, पटवारी, ए.एन.एम. और शिक्षा तथा जलदाय विभाग के कनिष्ठ लिपिकों को इस कार्य में लगाया गया है। जिला कलेक्टर आलोक गुप्ता ने अधिकारियों से भी कहा है कि वे जब भी आलोच्य अवधि के दौरान ग्रामीण क्षेत्र के दौरे पर जाएं तो गेहूं वितरण कार्य का निरीक्षण अवश्य करें और जहां तक हो सके गांव के मुखिया व सेवानिवृत या बुजुर्ग व्यक्तियों की उपस्थिति में गेहूं का वितरण करवाया जाए।

------

12 राजीव गांधी सेवा केन्द्रों के लिए 1.35 करोड़ स्वीकृत

झुंझुनू, 11 मईः जिला कलेक्टर आलोक गुप्ता ने एक आदेश जारी करके जिले की अलसीसर और बुहाना पंचायत समिति क्षेत्र के 11 राजीव गांधी सेवा केन्द्रों के निर्माण के लिए एक करोड़ 10 लाख और खेतड़ी पंचायत समिति मुख्यालय पर राजीव गांधी सेवा केन्द्र के निर्माण के लिए 25 लाख रूपये की राशि स्वीकृत की है। जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सी.एम. काला ने बताया कि अलसीसर पंचायत समिति क्षेत्र के पिलानी खुर्द, टांई, बाडेट, भूदा का बास, सोनासर व चुड़ैला में, बुहाना पंचायत समिति के पुहानियां, सुलताना अहिरान, उदा माण्डी, ढांढोत कलां व सिंघाना में राजीव गांधी सेवा केन्द्र बनाने के लिए प्रत्येक के लिए 10-10 लाख रूपये की राशि मंजूर की गई है।

.....3....

विधायक कोटे के 10 कार्यो के लिए 16.20 लाख रूपये स्वीकृत

झुंझुनू, 11 मईः जिला कलेक्टर आलोक गुप्ता ने एक आदेश जारी करके विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के तहत सूरजगढ़ विधायक श्रवण कुमार के कोटे से 10 कार्यो के लिए 16 लाख 20 हजार रूपये की राशि स्वीकृत की है। मुख्य कार्यकारी अधिकारी सी.एम. काला ने बताया कि यह कार्य भौदन, झांझा, शाहपुर, सिलारपुरी, डूमोली खुर्द, कुलोठ कलां, अगवाना एवं भिर्र में करवाएं जाएंगे। उन्होंने बताया कि निर्माण कार्यो में चार दीवारी, कुए मे मोटर, स्टारर्ट, केबल व पम्प लगाने, जी.एल.आर. का निर्माण, खेल मैदान का गेट बनवाने, पाईप लाईन डालने, अधूरे कमरे को पूरा करने, सीमेण्ट सड़क और फर्नीचर खरीद के लिए यह राशि स्वीकृत की गई है।

महा नरेगा के 12 कार्यों के लिए 1178.08 लाख रूपये मंजूर

झुंझुनू, 11 मई: जिला कलेक्टर आलोक गुप्ता ने एक आदेश जारी करके नरेगा योजना में झुंझुनू, खेतड़ी, अलसीसर व चिड़ावा पंचायत समिति क्षेत्र में 12 कार्यों के लिए 1178.08 लाख रूपये मंजूर किए हैं। जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सी.एम. काला ने बताया कि झुंझुनू पंचायत समिति के भारू व वाहिदपुरा में, खेतड़ी के लोयल, जसरापुर, नानूवाली बावड़ी, राजोता, बबाई व खरखड़ा में, अलसीसर के अलसीसर व गोखरी में और चिड़ावा पंचायत समिति के गोवला व चनाना ग्राम पंचायतों में निर्माण कार्यों के लिए यह राशि स्वीकृत की गई है।

नवलगढ़ में औद्योगिक प्रोत्साहन शिविर का आयोजन आज

झुंझुनू, 11 मई: नवलगढ़ पंचायत समिति में जिला उद्योग केन्द्र की ओर से एक दिवसीय औद्योगिक प्रोत्साहन शिविर का आयोजन बुधवार (12 मई) को किया जाएगा। उद्योग केन्द्र के महाप्रबन्धक मनीराम ने बताया कि शिविर में मौके पर ही औद्योगिक इकाईयों के मेमोरेण्डम पार्ट प्रथम व द्वितीय जारी किए जाएंगे और आर्टीजन क्रेडिट कार्ड, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के हस्तशिल्प पहचान पत्र के आवेदन पत्र भी तैयार करवाए जाएंगे। शिविर में उद्योग, वित्त निगम, रीको, खादी ग्रामोद्योग तथा बैंक के अधिकारियों द्वारा विभागीय योजनाओं की जानकारी देकर मौके पर ही आवेदन पत्र तैयार करवाए जाएंगे।

मंच द्वारा निजी महाविद्यालय पर साढ़े सात हजार का जुर्माना

झुंझुनू, 11 मई: जिला उपभोक्ता मंच ने कुलोठ खुर्द निवासी (परिवादी) नवीन कुमार अग्रवाल के आवेदन को स्वीकार करते हुए सूरजगढ़ के मधुकर श्याम महाविद्यालय के निदेशक को आदेशित किया है कि वे परिवादी को अगले दो माह में 7 हजार 500 रूपये का भुगतान परिवादी को मानसिक एवं शारीरिक संताप व आर्थिक नुकसान तथा परिवाद व्यय के रूप में अदा करें। मंच ने अपने फैसले में कहा है कि बी.एस.सी. द्वितीय वर्ष सत्र 2007-08 में कम्प्यूटर एप्लीकेशन विषय की मान्यता ना होते हुए संस्थान ने इस विषय में प्रवेश देकर सेवा का दोष किया है।